भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2978

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

2978. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र के विस्तार की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किन-किन जिलों में कार्य किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी तथा वर्तमान में यह दिनांक 31 मार्च, 2021 तक वैद्य है। पीएमकेएसवाई के घटकों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), वाटरशेड विकास (डब्ल्यूडीसी) तथा प्रति बून्द अधिक फसल (पीडीएमसी) शामिल है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-26 की विस्तारित अवधि में, और अधिक उन्नत और समावेषी कवरेज के साथ, पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों का प्रस्ताव है। हालांकि, मार्च, 2021 के पश्चात् पीएमकेएसवाई के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की निरंतरता तथा इस स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करना, विस्तारित स्कीम के पैमाने और प्रारूप तथ फंड की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

(ग): बिहार के जिलों में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यों का विवरण निम्नलिखित है-

i. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):

वर्ष 2016 में मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किए जा पीएमकेएसवा -एआईबीपी के अंतर्गत 99 चालू वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श के साथ प्राथमिकीकृत किया गया है। इनमें से दो परियोजनाओं को, नामत: दुर्गावती तथा पुनपुन सिंचाई परियोजनाओं को बिहार राज्य से शामिल किया गया है। उनके द्वार लाभान्वित होने वाले जिलों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.□□	**परियोजना □□ □□□**	**लाभार्थ जिलों के भाग**
1.	दुर्गावती जलाशय परियोजना	कैमुर और रोहतास
2.	पुनपुन बैराज परियोजना	पटना, अरवल और जहानाबाद

ii. □□ □□ □□ □□□

- कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम): सीएडीब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई 88 परियोजनाओं में से एक परियोजना बिहार से है जिसका नाम दुर्गावती सिंचाई परियोजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के रोहतास और कैमुर जिलों के भाग लाभान्वित हो रहे हैं।
- **सतही लघु सिंचाई (एस□□□□)** : एसएमआई के अंतर्गत बिहार राज्य में 176 योजनाओं के दो समूह मौजूदा हैं। जिसमें बिहार के जमूई तथा नवादा जिलों के भाग शामिल है।
- **जल निकायों का मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार** (□□□□□□): इस समय में बिहार राज्य से आरआरआर कार्य के दो समूह जिनमें कुल 93 जल निकाय शामिल है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जहानाबाद, कैमुर, लक्खीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना तथा रोहतास के भाग शामिल है।

Iii. वाटरशेड विकास (डब्ल्यूडीसी) : भूमि संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत बिहार में 64 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 14 जिलों नामत: औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमुर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, अलवर, लक्खीसराय, पटना, नालंदा, जहानाबाद तथा सेखपुरा के भाग शामिल है।

iv. प्रति बून्द अधिक फसल (□□□□□□□) : कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि पीडीएमसी को बिहार के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****